न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वत सिंह चुण्डावत **R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या 2023/61

प्रकरण संख्या 18/23

अनवान

1. श्रीमती अमरीबाई पत्नि गोकुललाल मेघवाल निवासी बरोडिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....प्रार्थीया

बनाम्

1. श्री उदयलाल पिता शंकर मेघवाल निवासी खेडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री खेमराज पिता शंकर मेघवाल निवासी खेडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
3. श्रीमती नंदुबाई पुत्री शंकर मेघवाल निवासी खेडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
4. श्रीमती कंकु पत्नि भीमा भील निवासी खेडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
5. श्रीमती छगनी पत्नि लोगर भील निवासी खेडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
6. श्रीमती रामी पुत्री लोगर भील नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती छगनी पत्नि लोगर भील निवासी खेडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
7. श्रीमती नारू पुत्री लोगर भील नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती छगनी पत्नि लोगर भील निवासी खेडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
8. श्री भगा पिता भीमा भील निवासी खेडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
9. श्री विजयलाल पुत्र लोगर भील निवासी खेडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
10. भूमिधारी जरिए श्रीमान् तहसीलदार साहब भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 17.10.2023

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खेडली पटवार मण्डल भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–81 में खाता संख्या नया 05 की आराजी नम्बर 43 रकबा 1.0600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का प्रार्थीया ही एकमात्र खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है जिसमें प्रार्थीया के अलावा किसी अन्य का किसी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार, आधिपत्य, स्वत्व आदि नहीं हैं।
2. यह कि इस प्रार्थना पत्र कि कलम नंबर 1 में अंकित प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कि आराजी नंबर 43 के उत्तर दिशा एवं दक्षिण दिशा की तरफ विपक्षी संख्या 1 से 09 की आराजी नं. 42, 44, 45 स्थित है। विपक्षीगण प्रार्थीया से आये दिन सीमा को लेकर बेवजह प्रार्थीया से लडाई झगडे करते रहतें है जिससे प्रार्थीया अपनी आराजी कि सुरक्षा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.12.15 16:19:12 IST
Reason: SelfAttested

... पृाप भूमि के अच्छी तरह से विकास के लिए पक्की पत्थरगढी करवाना चाहती है जिससे भविष्य में किसी भी तरफ का कोई सीमा संबंधी विवाद नहीं हो। अतः प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात की सीमांकन कराई जाकर पक्की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 9 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 9 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 10 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थीया के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीया की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थीया अपनी आराजीयात में पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है तथा प्रार्थीया द्वारा अपनी भूमि का विकास करने में कठिनाई हो रही है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है मौजा खेडली पटवार मण्डल केदारिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078—81 में खाता संख्या नया 05 की आराजी नम्बर 43 रकबा 1.0600 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को एक दिन का वेतन प्रार्थीया द्वारा अदा किया जावें। तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2023.12.15 16:19:12 IST
Reason: Self Attested

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।